भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2905 का उत्तर

अतिक्रमण वाली रेलवे भूमि का प्रबंधन

2905. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग के उपयोग सहित अतिक्रमण के अंतर्गत आने वाली रेलवे भूमि की पहचान और वर्गीकरण के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) श्रेणी-वार, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य कब्जों सहित रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि को अतिक्रमण के रूप में वर्गीकृत किए जाने के विरुद्ध व्यक्तियों या समुदायों द्वारा समीक्षा या अपील करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलवे भूमि अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों, शिकायतों, अपीलों और अदालती मामलों की संख्या कितनी है तथा इसके साथ ही निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का रेलवे भूमि अभिलेखों के सत्यापन और विवादों के समाधान के लिए एक पारदर्शी डिजिटल भूमि सूचना और शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेल भूमि का कोई भी अनधिकृत या अवैध कब्जा जिसमें अस्थायी अथवा स्थायी संरचना शामिल है, को क्रमशः स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण माना जाता है। रेल प्रशासन द्वारा रेल भूमि सीमाओं के नियमित सर्वेक्षण किए जाते हैं जिनमें निरीक्षण, सीमांकन और आवधिक सत्यापन शामिल होते हैं और तदनुसार, भूमि अभिलेखों का अद्यतन किया जाता है।

भारतीय रेल जहां कहीं अपेक्षित हो, भूमि अभिलेखों का निरंतर सत्यापन और अद्यतनीकरण सुनिश्चित करने के लिए राजकीय राजस्व प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य करती है।

रेलपथ और संरचना, वृक्षारोपण/वनरोपण/कृषि वाणिज्यिक लाइसेंसिंग, उपलब्ध भूमि, अतिक्रमण और अन्य उपयोगों सहित विभिन्न उपयोगों के तहत कुल भूमि धारिता के आंकड़ों को बनाए रखने के लिए, भूमि परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

उपलब्ध रेल भूमि का उपयोग परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार मल्टी ट्रैकिंग, रेल कारखानों, नए यात्री टर्मिनलों, कार्गो टर्मिनलों आदि जैसी अवसंरचना के विकास के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि, जिसकी रेलवे को अपनी तात्कालिक ज़रूरतों के लिए आवश्यकता नहीं है, को वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंप दिया जाता है।

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल के पास लगभग 5.01 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 0.21% (1062.08 हेक्टेयर) रेल भूमि अतिक्रमण के तहत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, लगभग 98.02 हेक्टेयर रेल भूमि अतिक्रमण से पुनर्प्राप्त की गई है।

सरकारी स्थान (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 9 में ऐसी अपील का प्रावधान है, जिसे जिला न्यायाधीश के समक्ष संपदा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्राथमिकता दी जा सकती है। भारतीय रेल पर अभ्यावेदनों और अपीलों का निपटारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 3110 अदालती मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1267 का निपटारा किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, भूमि से संबंधित शिकायतों सहित शिकायतें दर्ज करने हेतु नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है।
